

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1561
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

काफी समय से लंबित मामले

1561. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

श्री नारणभाई काछड़िया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अलग-अलग कितने आपराधिक और दीवानी मामले लंबित हैं और देश में विचाराधीन कैदियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में 10 वर्ष से कम, 10 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की न्यायालय-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा काफी समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई सी एम आई एस) से पुनःप्राप्त भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालया में 69,511 मामले लंबित थे जिनमें से 55,015 सिविल मामले और 14,496 दंडिक मामले थे ।

उच्च न्यायालयों की दशा में इस समय कुल 59,77,361 मामले लंबित हैं जिनमें से 07 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से उपलब्ध सूचना के अनुसार 42,90,686 सिविल मामले और 16,86,675 दंडिक मामले हैं ।

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो से पुनःप्राप्त किए गए अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध डाटा के अनुसार विचारण के अधीन राज्य वार विस्तृत विवरण उपाबंध-1 पर है ।

(ख) : 10 वर्ष से कम, 10 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या के संबंध में श्रेणी वार सूचना का विस्तृत कथन उपाबंध-2 पर है ।

(ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान विशिष्टतः न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

यद्यपि, केन्द्रीय सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए उचित पर्यावरण का उपबंध करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार

मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्याधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है।

न्यायालयों में मामलों की लंबितता को कम करने/न्यूनतम करने में सहायता के लिए न्याय विभाग की विभिन्न पहलों के अधीन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार है:

i. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-

1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9490.45 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.01.2023 तक बढ़कर 21,245 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.01.2023 तक 18,726 हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 2,780 न्यायालय हाल और 1,652 आवासीय इकाइयां (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा। न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

ii. सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभाव :-

सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है। सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं। 02.02.2023 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 22.09 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 20.43 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुंच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं। वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तस्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है। कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 02.01.2023 तक, इन न्यायालयों ने 2.40 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 347.86 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,82,20,040 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.12.2022 तक 77,01,697 मामलों (कुल 2.59 करोड़) की सुनवाई की। 24.12.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 3,79,954 सुनवाई हुई।

iii. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना :- 01.05.2014 से 06.02.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 52 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 870 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 626 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.02.2023	25,135	19,376

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

iv. बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

v. विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :- चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंध

करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोड़ा गया है। स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 186.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 768 एफटीएससी वर्तमान में 418 अनन्य पाँक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.12.2022 तक 1,37,000 मामलों का निपटारा किया गया।

vi. इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है।

vii. **अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए हैं।

viii. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पि विवाद समाधान तंत्र है। यह ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमा पूर्व प्रक्रम्य पर लंबित विवाद/मामलें निपटाए जाते हैं/उन पर आपस में समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्ली के रूप में समझा जाता है और सभी पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम्य पर विवादों को निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो वह ठीक समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालतें आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख को सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं:

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल संख्या
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010

कुल	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047
-----	-------------	-------------	-------------

ix. सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेलिफोन के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने और ग्रामपंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं का उपबंध किया गया है।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	10,00,641	31.62%
अनुसूचित जनजाति	5,62,169	17.77%
अन्य पिछड़ा वर्ग	9,26,006	29.26%
महिला	10,59,373	33.48%
सामान्य	6,75,574	21.35%
31 जनवरी, 2023 तक	31,64,390	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

उपाबंध-1

देश में विचारण के अधीन राज्य-वार विवरण के ब्यौरे (31.12.2021 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विचारण के अधीन कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5831
2	अरुणाचल प्रदेश	121
3	असम	7620
4	बिहार	59577
5	छत्तीसगढ़	12288
6	गोवा	481
7	गुजरात	11599
8	हरियाणा	18237
9	हिमाचल प्रदेश	2024
10	झारखंड	16249
11	कर्नाटक	11689
12	केरल	4892
13	मध्य प्रदेश	29094
14	महाराष्ट्र	31752
15	मणिपुर	513
16	मेघालय	866
17	मिजोरम	640
18	नगालैंड	326
19	ओडिशा	18164
20	पंजाब	19510
21	राजस्थान	17954
22	सिक्किम	302
23	तमिलनाडु	11706
24	तेलंगाना	4796
25	त्रिपुरा	598
26	उत्तर प्रदेश	90606
27	उत्तराखंड	4674
28	पश्चिमी बंगाल	22577
29	अंदमान और निकोबार द्वीप	158
30	चंडीगढ़	718
31	दादर और नागर हवेली और दमण और दीव	177
32	दिल्ली	16665
33	जम्मू-कश्मीर	4531
34	लद्दाख	16
35	लक्षद्वीप	5
36	पुदुचेरी	209
	कुल	427165

स्रोत:- गृह मंत्रालय ।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या से संबंधित विवरण के ब्यौरे

न्यायालय का नाम	10 साल से कम समय से लंबित मामले			10 वर्ष से 20 वर्ष तक लंबित मामले			20 वर्ष से अधिक लंबित मामले		
	सिविल	दांडिक	कुल	सिविल	दांडिक	कुल	सिविल	दांडिक	कुल
*उच्चतम न्यायालय		58,085			6,652			4,774	
**उच्च न्यायालय	3289243	1261794	4551037	788281	343774	1132055	213162	81107	294269
**जिला और अधीनस्थ न्यायालय	10041675	29238678	39280353	700124	2778009	3478133	152546	517456	670002

* स्रोत:- 01.02.2023 तक भारत के उच्चतम न्यायालय के डाटा के अनुसार

** स्रोत:- 07.02.2023 तक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के डाटा के अनुसार